प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

निर्णय सुरक्षित किया गया : 28.10.2025

निर्णय पारित किया गया : 18.11.2025

दाण्डिक अपील सं 26/2023

विजय कुमार विश्वकर्मा पिता दशरथ कुमार विश्वकर्मा, 42 वर्ष,निवासी ग्राम रेलमाजरा, थाना बालासोर, जिला नामशहर भगतसिंह नगर, पंजाब

---अपीलकर्ता

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य थाना प्रभारी के द्वारा, पुलिस थाना नगरनार, जिला :बस्तर (जगदलपुर), छत्तीसगढ़

---उत्तरवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

{वाद कारण प्रकरण की सूचना प्रणाली से लिया गया }

अपीलार्थी हेतु :श्री ऋषि राहुल सोनी, अधिवक्ता।

उत्तरवादी हेतु :श्री शैलेश कुमार पुरिया, पैनल अधिवक्ता।

(माननीय श्री नरेश कुमार चंद्रवंशी न्यायाधीश)

सीएवी निर्णय

1. यह अपील अपीलकर्ता द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 (2) के तहत माननीय विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) अधिनियम, जगदलपुर, जिला बस्तर द्वारा विशेष दाण्डिक प्रकरण (एनडीपीएस अधिनियम) संख्या 10/2021 में दिनांक 01.12.2022 को पारित दोषसिद्धि और दंड के आदेश के विरुद्ध दायर की गई है, जिसके तहत अपीलकर्ता को मादक औषधि एवं मनोरोगी पदार्थ अधिनियम, 1985 (जिसे आगे 'एनडीपीएस अधिनियम' कहा गया है) की धारा 20(ख)(ii)(सी) के तहत दोषी ठहराया गया है और उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास और 1,00,000/– रुपये के जुर्माने की दंड पारित किया गया है, जुर्माना अदा न करने पर उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

2. अभियोजन पक्ष का संक्षिप्त प्रकरण यह है कि 24.08.2020 को नागरनार पुलिस थाना के सहायक उप निरीक्षक हरवान सिंह (पी. डब्ल्यू 9) को एक मुखबिर से सूचना मिली कि पंजीकरण संख्या आर.जे. 09/जी.डी./2253 वाला एक बारह पहिया ट्रक ओडिशा से जगदलपुर तक अवैध रूप से गांजा की तस्करी कर रहा है।यह गुप्त सूचना रोजनामचा संहा में दर्ज की गई।इस गुप्त सूचना की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को भेजी गई थी।दो स्वतंत्र साक्षीयों को बुलाया गया था.आवश्यक रोजगारमाचा सन्हास और मुखबिर सूचना पंचनामा तैयार कर लिया गया था।उपरोक्त सूचना जगदलपुर के नगर पुलिस अधीक्षक को भेज दी गई थी। इसके बाद, पुलिस दल घटनास्थल की ओर अग्रसर हुआ और नगरनार पुलिस थाना के पास एनएच 63 पर घेराबंदी कर उक्त 12 पहिया ट्रक को रोक लिया।उक्त ट्रक के चालक, विजय कुमार विश्वकर्मा, जो इस मामले में अपीलकर्ता हैं, को एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 50 के तहत नोटिस तामील किया गया। आवश्यक पंचनामा तैयार करने के बाद, उन्होंने उक्त वाहन की तलाशी ली और ट्रक के डंडे में भूरे रंग के सेलोटेप में लिपटे 20 बंडलों में प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किया, जिसे एक्स. पी–7 के माध्यम से बरामद किया गया। उक्त प्रतिबंधित पदार्थ को जलाकर, सूंघकर और रगड़कर गांजा के रूप में पहचाना गया, जिसके लिए प्रदर्श पी–8 तैयार किया गया।वजन करने पर पाया गया कि 20 बंडलों में से प्रत्येक बंडल में 10 किलो गांजा था, कुल मिलाकर 200 किलो। बरामद गांजे को पीसकर 8 प्लास्टिक बोरियों (बोरी) में रखा गया और समरस पंचनामा प्रदर्श पी–11 तैयार किया गया था।भूरे रंग के सेलोटेप में लिपटे 20 बंडलों में रखा गांजा, प्रत्येक बंडल में 10 किलो गांजा, 2500 रुपये और एक एमआई ब्रांड का एंड्रॉयड फोन जब्त किया गया (जब्ती ज्ञापन, एक्स पी/ –12)।आरोपी/अपीलकर्ता को गिरफ्तार किया गया था।पुलिस और पटवारी द्वारा घटनास्थल के नक्शे तैयार किए गए।पूरी कार्यवाही का देहाती नालिसी (एक्स पी/ –32) दर्ज किया गया और फिर एफआईआर (एक्स पी/ –33) दर्ज की गई।प्रतिबंधित पदार्थ को रसीद (एक्स पी/ –42) के माध्यम से मलखाना मुहर्रिर को सौंप दिया गया था।कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा 'ए–1' और 'ए–2' के रूप में चिह्नित दो कंटेनरों में 50 ग्राम के दो नमूने एकत्र किए गए (एक्स पी–47, 4 पृष्ठ)।उन्होंने जब्त की गई वस्तुओं की सूची भी तैयार की। 'ए–1' के रूप में चिह्नित एक नमूना एफएसएल, जगदलपुर भेजा गया (एक्स पी–43), जिस पर एफएसएल ने अपनी रिपोर्ट (एक्स पी–44) में बताया कि नमूना 'ए–1' 'गांजा' है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. सामान्य अन्वेषण पूरी होने पश्चात्, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20(ख)(ii)(सी) के तहत अपराध के लिए माननीय विशेष न्यायालय के समक्ष आरोपपत्र दाखिल किया गया था।

4. माननीय विशेष न्यायाधीश ने अपीलकर्ता/आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20(ख)(ii)(सी) के तहत आरोप निर्धारित किए। उसने उक्त आरोप से इनकार किया तथा विचारण का दावा किया।

5. अपीलकर्ता के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष ने निम्नलिखित साक्षीयों से परीक्षा तथा निम्नलिखित दस्तावेज पेश किए हैं: ––

साक्षी :––

PW 1	Baidyanath Baghel	P.W. 6	Ku. Shushma Rana
PW 2	Aseet John	P.W. 7	Harish Korram
PW 3	Satyanarayan Goyal	P.W. 8	Shiv Shankar Gendle
PW 4	Devendra Singh Thakur	P.W. 9	Harwan Singh, IO
PW 5	Lalit Baghel	P.W. 10	S.K. Banjara

प्रदर्श :––

1.	Ex. P-1	Notice u/S. 160 Cr.P.C.	28.	Ex. P-28	Duty certificate
2.	Ex. P-2	Consent of witness	29.	Ex. P-29C	Rajnamcha Sanha
3.	Ex. P-3	Notice u/S. 50, NDPS Act.	30.	Ex. P-30C	Rajnamcha Sanha
4.	Ex. P-4	Search panchnama	31.	Ex. P-31	Information to SP, Jagdalpur
5.	Ex. P-5	Search memo of govt. vehicle	32	Ex. P-32	Dehati Nalsi
6.	Ex. P-6	Search memo truck	33.	Ex. P-33	FIR
7.	Ex. P-7	Recovery memo	34.	Ex. P-34	Memo regarding seizure of Truck
8.	Ex. P-8	Madak Drivya Pahchan Panchnama	35.	Ex. P-35C	Rojnamcha Sanha
9.	Ex. P-9	Weight machine verification Panchnama	36.	Ex. P-36A	Rojnamcha Sanha
10.	Ex. P-10	Taul Panchnama	37.	Ex. P-37C	Rojnamcha Sanha
11.	Ex. P-11	Samras Panchnama	38	Ex. P-38	Memo requesting for presence of Executive Magistrate
12.	Ex. P-12	Seizure memo of Ganja, truck, Rs. 2500/- and a mobile	39	Ex. P-39	Notice u/S. 67, NDPS Act
13.	Ex. P-13	Sample Seal Panchnama	40.	Ex. P-40	Information of arrest
14.	Ex. P-14	Memo showing reason of arrest	41.	Ex. P-41	Memo for preparing Patwari Naksha
15	Ex. P-15	Arrest memo	42.	Ex. P-42	Receipt of Malkhana Muharrir
16.	Ex. P-16	Spot map	43.	Ex. P-43	Memo to FSL
17.	Ex. P-17	Panchnama	44.	Ex. P-44	FSL report
18.	Ex. P-18	Notice u/S. 160, CrPC	45.	Ex. P-45	FSL receipt

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19.	Ex. P-19	Consent of witness	46.	Ex. P-46	Memo seeking permission for sampling and pre-trial proceeding.
20.	Ex. P-20	Amad	47.	Ex. P-47	Document regarding inventory proceeding
21.	Ex. P-21	Duty certificate	48.	Ex. P-47 repeat	Inventory
22.	Ex. P-22	Patwari spot map	49.	Ex. P-47 repeat	Certificate regarding weighing machine
23.	Ex. P-23	Memo preparation of Patwari spot map	50.	Ex. 47 repeat	Verification of sample seal
24.	Ex. P-24	Mukhbir Suchna Panchnama	51.	Ex. P-48	Form 24, MV register
25.	Ex. P-25	Information regarding crime	52.	Ex. P-49	Certificate of Gram Panchayat
26.	Ex. P-26	Panchnama of not obtaining search warrant	53.	Ex. P-50C	Jabt Mal ka register
27.	Ex. P-27	Rojnamcha Sanha			

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपीलकर्ता का बयान भी दर्ज किया गया, जिसमें उसने अपने खिलाफ लगे आरोपों से इनकार किया और कहा कि वह निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। अपीलकर्ता ने अपने बचाव में किसी साक्षी की परीक्षा नहीं की है।

6. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के बाद, विशेष न्यायालय ने अपीलकर्ता को दोषी ठहराया गया और इस निर्णय के शुरुआती कंडिका में उल्लिखित दंड पारित किया गया ।अतः, यह अपील प्रस्तुत किया गया है।

7. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि इस मामले में, अपीलकर्ता द्वारा चलाए जा रहे ट्रक से 200 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया था, जिसे 20 बंडलों (10 किलोग्राम) में रखा गया था। उन्होंने आगे बताया कि अन्वेषण अधिकारी (पीडब्ल्यू–9) के बयान और समरस पंचनामा (एक्स.पी–11) के अनुसार, उक्त प्रतिबंधित पदार्थ की बरामदगी के बाद, उसे समरूप बनाया गया और उसके बाद, प्रतिबंधित पदार्थ को 8 सफेद रंग के प्लास्टिक के बोरों में रखा गया।आगे यह तर्क दिया गया है कि मलखाना मोहर्रिर एस.के. बंजारा (पी.डब्ल्यू–10) ने अपने हस्ताक्षर वाली मलखाना रसीद (एक्स.पी.––42) और जांच अधिकारी हरवान सिंह (पी.डब्ल्यू–9) ने मलखाना रजिस्टर (एक्स.पी.––50 सी) को प्रमाणित किया है, लेकिन न तो मलखाना रसीद (एक्स.पी.––42) और न ही मलखाना रजिस्टर (एक्स.पी.––50 सी) में यह उल्लेख है कि कथित गांजा 8 सफेद रंग के प्लास्टिक बोरों में मलखाने में जमा किया गया था, बल्कि मलखाना रजिस्टर (एक्स.पी.––50 सी) के अनुसार, जब जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थ को कार्यकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष सूची तैयार करने के लिए बाहर निकाला गया और इस संबंध में 18.12.2020 को प्रविष्टि की गई, तभी यह उल्लेख किया गया है कि 200 किलोग्राम गांजा, जिसे 8 सफेद रंग के प्लास्टिक बोरों में लिया गया था, सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया था और सूची तैयार करने और नमूना लेने के लिए इसे मलखाने से बाहर निकाला गया था और बाद में इसे फिर से मलखाने में जमा कर दिया गया था।7.1 अपीलकर्ता/आरोपी के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि कथित गांजा 14.8.2020 को जब्त किया गया था और सूची/पंचनामा 18.12.2020 को तैयार किया गया था, अर्थात जब्ती के लगभग 4 महीने बाद, लेकिन जब कथित गांजा बरामद होने के बाद उसे समरूप बनाकर 8 सफेद रंग के प्लास्टिक के बोरों में रखा गया था, तो उसे 20 पैकेटों में कैसे रखा जा सकता था, जबकि मालखाना रसीद (एक्स पी/ –42) के अनुसार, मालखाना मुंशी द्वारा यह उल्लेख नहीं किया गया था कि कथित प्रतिबंधित वस्तु उसे मालखाना में जमा करने के लिए कथित 8 बोरों या पैकेटों में प्राप्त हुई थी।अतः, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि कथित नमूने कथित रूप से जब्त किए गए गांजे से तैयार किए गए थे और चाहे वे सीलबंद थे या नहीं।इन परिस्थितियों में, नमूनों की तैयारी को इस आधार पर नहीं माना जा सकता कि वे अपीलकर्ता से जब्त किए गए कथित प्रतिबंधित पदार्थ से तैयार किए गए थे।उन्होंने आगे कहा कि घटना के लगभग चार महीने बाद इन्वेंट्री तैयार की गई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7.2 इसके बाद अपीलकर्ता/आरोपी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52 (ए) में निहित प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है, क्योंकि संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सूचीकरण, नमूनाकरण, फोटोग्राफी आदि नहीं कराए गए हैं।उन्होंने आगे कहा कि यद्यपि एफएसएल रिपोर्ट (एक्स.पी–44) में, "ए–1" के रूप में चिह्नित वस्तुओं को गांजा बताया गया है, लेकिन पुलिस स्टेशन के मालखाने में कथित प्रतिबंधित पदार्थ को किस हालत में रखा गया था, अर्थात 8 प्लास्टिक बोरियों में या 20 पैकेटों में, यह बात अत्यधिक विरोधाभासी है। गांजे की भारी मात्रा (200 किलोग्राम) की जब्ती के लगभग 4 महीने बाद नमूनाकरण कराया गया था।घटना दिनांक से लगभग 4 महीने बाद केवल दो नमूने तैयार किए गए, जिनमें से प्रत्येक में 50 ग्राम गांजा था। इसलिए, नमूना संग्रह और एफएसएल रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।लेकिन विद्वान विशेष न्यायालय ने उपरोक्त तथ्यों पर विचार किए बिना अपीलकर्ता को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20(बी)(ii)(सी) के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया और उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास और 1,00,000 रुपये के जुर्माने का दंड पारित किया गया , जिसमें जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त दंड का प्रावधान है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित साक्ष्य और विधि के विपरीत है। इसलिए, अपीलकर्ता निवेदन करता है कि अपील स्वीकार की जाए और अपीलकर्ता को उक्त निर्णय को अपास्त करके कथित अपराध से दोषमुक्त किया जाए।इस संबंध में, उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मोहम्मद खालिद और अन्य बनाम तेलंगाना राज्य मामले में दिए गए निर्णय पर भरोसा जताया, जो 2024 (5) एससीसी 393 में प्रकाशित हुआ था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. इसके विपरीत, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता द्वारा चलाए जा रहे ट्रक से भारी मात्रा में अर्थात 200 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया था, जिसे अभियोजन पक्ष के साक्षीयों ने सिद्ध कर दिया है।उन्होंने आगे निवेदन किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में भारत आंबले बनाम छत्तीसगढ़ राज्य 1 मामले में यह निर्णय दिया है कि केवल एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52 (ए) में निहित प्रावधानों का अनुपालन न करना ही आरोपी को दोषमुक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, जब तक कि भौतिक साक्ष्य में कोई अन्य खामी न हो।उन्होंने आगे निवेदन किया कि विद्वान विशेष न्यायालय ने आरोपी/अपीलकर्ता को कथित अपराध के लिए दोषी ठहराते हुए और दंड पारित करते हुए सुविचारित निर्णय दिया है, जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

9. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क को सुना, उनके परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया और विशेष न्यायालय के अभिलेख सहित मामले के अभिलेख का अत्यंत सावधानीपूर्वक अध्ययन किया।

10. वर्तमान प्रकरण में एएसआई हरवान सिंह (पी.डब्ल्यू. 9) जांच अधिकारी हैं, जिन्होंने छापेमारी और सभी कार्यवाही की।सिपाही सत्यनारायण गोयल (पी.डब्ल्यू. 3) और सिपाही हरीश कोर्रम (पी.डब्ल्यू. 7) उनके साथ मौजूद पुलिसकर्मी थेअन्वेषण अधिकारी हरवान सिंह (पी.डब्ल्यू. 9) 1 एसएलपी (क्र.) संख्या 14420/2024 से उत्पन्न क्र.ए. संख्या 250/2025, दिनांक 06.01.2025 9 और कांस्टेबल ललित बघेल (पी.डब्ल्यू. 5) के बयान से यह सिद्ध होता है कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 42(2) और 57 का अनुपालन किया गया है। सिपाही कु. सुषमा राणा के बयान से भी इसकी पुष्टि होती है, जिन्होंने डीएसपी, ए.जे.के. (अनुसूचिन जाति

कल्याण), जगदलपुर, जिला बस्तर के कार्यालय में सूचना/विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त की थी।इस प्रकार, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 42(2) और 57 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन सिद्ध हो गया है।

11. अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, अपीलकर्ता द्वारा चलाए जा रहे उक्त ट्रक से भूरे रंग के सेलोटेप में लिपटे 10 किलो गांजा के 20 बंडल बरामद किए गए।अन्वेषण अधिकारी हरवान सिंह (पी.डब्ल्यू 9) ने अपने बयान में कहा है कि कथित प्रतिबंधित पदार्थ की बरामदगी के बाद, उसे जलाकर, सूंघकर और रगड़कर गांजा के रूप में पहचाना गया था।इस संबंध में, उन्होंने मदक द्रव्य पहचान पंचनामा (एक्स. पी–8) तैयार किया, लेकिन उन्होंने अपने बयान में यह नहीं बताया कि पहचान करते समय कथित पैकेटों में से कोई खोला गया था या नहीं। मादक द्रव्य पहचान पंचनामा (एक्स. पी–8) में भी इस तथ्य का उल्लेख नहीं है कि उपरोक्त पहचान के दौरान कोई पैकेट खोला गया था।

12. दोनों स्वतंत्र साक्षीयों पक्षद्रोही होगये हैं और उन्होंने दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षरों के अलावा अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है।इसलिए, अभियोजन पक्ष का पूरा मामला विभागीय साक्षीयों के साक्ष्य पर निर्भर करता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. अन्वेषण अधिकारी ए.एस.आई. हरवान सिंह (पी.डब्ल्यू. 9) के बयान और उनके द्वारा 20 पैकेटों में कथित प्रतिबंधित सामग्री की बरामदगी के बाद तैयार किए गए समरस पंचनामा (एक्स.पी–11) के अनुसार, इसे एक्स.पी–11 के माध्यम से अच्छी तरह से समरूपीकृत किया गया था।एक्स.पी–11 में यह भी उल्लेख है कि समरूपीकरण के बाद, इसे 8 प्लास्टिक बोरियों (बोरी) में रखा गया था।इसके बाद, जब्ती ज्ञापन (एक्स पी/ –12) के माध्यम से प्रतिबंधित पदार्थ के सभी 20 बंडल जब्त किए गए थे, लेकिन जब सभी 20 बंडलों का प्रतिबंधित पदार्थ पहले से ही समरूपित करके 8 प्लास्टिक बैग में रखा गया था, तो इसे 20 बंडलों में कैसे जब्त किया जा सकता है, क्योंकि ए.एस.आई. हरवान सिंह (पी.डब्ल्यू. 9) या अन्य अभियोजन साक्षीयों ने अपने बयान में यह भी नहीं कहा है कि समरूपीकरण के बाद, प्रतिबंधित पदार्थ को फिर से 20 बंडलों में रखा गया था और उन 20 बंडलों को 8 प्लास्टिक बोरियों में रखा गया था।यह तथ्य तब और भी गंभीर हो जाता है जब एस.के. बंजारा (पी.डब्ल्यू 10) ने अपने बयान में कहा है कि उन्हें प्रदर्श पी–42 के माध्यम से 200 किलोग्राम प्रतिबंधित पदार्थ मालखाने में सुरक्षित रखने के लिए प्राप्त हुआ था।मालखाना रजिस्टर (एक्स. पी–50–सी) की दिनांक 24–8–2020 की प्रविष्टि से यह भी पता चलता है कि 10 किलोग्राम गांजे के 20 बंडल मालखाने में रखे गए थे, लेकिन उक्त रजिस्टर की दिनांक 18–12–2020 की प्रविष्टि से पता चलता है कि जब उन प्रतिबंधित पदार्थों को सूची तैयार करने, नमूने लेने आदि के लिए (एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52 ए के तहत कार्यवाही के लिए) भेजा गया था, तो कथित 200 किलोग्राम प्रतिबंधित पदार्थ गांजा को मालखाने से 8 प्लास्टिक बोरियों (बोरी) में निकाला गया और सूची तैयार करने और नमूने लेने आदि के बाद, इसे फिर से 8 पैकेटों में मालखाने में रख दिया गया।समरस पंचनामा (एक्स पी/ 11), ज़ब्ती ज्ञापन (एक्स पी/ –12) और मलखाना रजिस्टर (एक्स पी/ 50–सी) में दिखाई देने वाले विरोधाभास से गंभीर संदेह उत्पन्न होता है कि कथित 200 किलोग्राम प्रतिबंधित पदार्थ की बरामदगी के बाद, इसे 8 प्लास्टिक बोरियों (बोरी) में रखा गया था

या इसे जब्त करके मलखाने में 20 बंडलों में रखा गया था, या बिना प्लास्टिक बोरियों (बोरी) में रखे, और यदि इसे 20 बंडलों में जब्त करके मलखाने में जमा किया गया था, तो प्रतिबंधित पदार्थ को 8 प्लास्टिक बोरियों (बोरी) में कब रखा गया था?

14. एस.के. बंजारा, मलखाना मोहर्रिर ने 24–8–2020 को रसीद ज्ञापन (एक्स पी/ –42) के माध्यम से जब्त प्रतिबंधित पदार्थ प्राप्त किया और इसे मलखाने में रखा, जो मलखाना रजिस्टर (एक्स पी/ –50–सी) से भी सिद्ध होता है।उस प्रतिबंधित पदार्थ को 18–12–2020 को सूची तैयार करने, नमूने लेने आदि के लिए कार्यकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष भेजा गया था, जिन्होंने रिपोर्ट/सूची (एक्स पी/ –47) तैयार की, जिसे एएसआई हरवान सिंह (पी.डब्ल्यू. 9) के बयान से भी समर्थन मिलता है।उनके बयान और कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट/सूची (एक्स पी/ 47) के अनुसार, जब्त किए गए 200 किलोग्राम प्रतिबंधित पदार्थ से, जिसे 8 प्लास्टिक बोरियों (बोरी) में रखा गया था, 50 ग्राम के दो नमूने तैयार किए गए थे, लेकिन वजन करने पर इसका कुल वजन 193.735 किलोग्राम पाया गया, जिन्हें समरूप बनाया गया था। इसके बाद, प्रतिबंधित पदार्थ के 50 ग्राम के दो नमूने तैयार किए गए और दो डिब्बों (डिब्बा) में रखे गए, जिन पर 'ए–1' और 'ए–2' अंकित थे।सत्यनारायण गोयल (पी.डब्ल्यू.3) ने 'ए–1' अंकित डिब्बे को एफएसएल में जमा करने के लिए ले लिया था, जिसे –47 से भी समर्थन मिलता है। पी–21, जो उनके द्वारा प्रस्तुत ड्यूटी सर्टिफिकेट और अमद रिपोर्ट है।ड्यूटी सर्टिफिकेट के एंडोर्समेंट से पता चलता है कि उन्होंने कुल 9 नमूने लिए थे और सभी नमूनों को 'ए–1' के रूप में चिह्नित किया गया था, जिसका अर्थ है कि उन्होंने अन्य मामलों के भी नमूने लिए थे और उन सभी को 'ए–1' के रूप में चिह्नित किया गया था।इस मामले के कथित कंटेनर 'ए–1' को जमा करने पर, एफएसएल, जगदलपुर ने उन्हें 'ए–1' के रूप में चिह्नित 'पैकेट' प्राप्त होने की रसीद (एक्स. पी–45) दी थी, न कि 'ए–1' के रूप में चिह्नित 'कंटेनर' की।अतः, 'ए–1' के रूप में चिह्नित पैकेट से संबंधित नमूने की एफएसएल रिपोर्ट (एक्स. पी––44) को कंटेनर में एकत्र किए गए 'ए–1' के रूप में चिह्नित नमूने से संबंधित एफएसएल रिपोर्ट नहीं माना जा सकता है।इसलिए, उपरोक्त एफ.एस.एल. रिपोर्ट (एक्स पी/ –44) पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है।

15. बरामदगी ज्ञापन (एक्स पी/ –7), समरस पंचनामा (एक्स पी/ –11) और जब्ती ज्ञापन (एक्स पी/ –12) के अनुसार, कथित प्रतिबंधित पदार्थ 24–8–2020 को जब्त किया गया था, लेकिन एएसआई हरवान सिंह (पी.डब्ल्यू. 9) के बयान और उपरोक्त दस्तावेजों से यह साबित नहीं होता है कि कथित प्रतिबंधित पदार्थ की जब्ती के बाद उसे सीलबंद रखा गया था।यह तथ्य मलखाना रजिस्टर (एक्स पी/ –50–सी) से भी समर्थित नहीं है और कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा एक्स पी/ –47 के माध्यम से 18–12–2020 को नमूना तैयार किया गया था, अर्थात जब्ती के चार महीने से अधिक समय बाद।बरामदगी के बाद कथित 200 किलोग्राम प्रतिबंधित पदार्थ को 20 बंडलों में ही रखा गया था या इसे 8 बोरियों (बोरी) में रखा गया था, यह भी विरोधाभासी है। एफएसएल द्वारा जारी की गई एफएसएल रिपोर्ट (एक्स पी/ –44) और रसीद (एक्स पी/ –45) से पता चलता है कि रिपोर्ट उस प्रतिबंधित वस्तु से संबंधित थी जो उन्हें पैकेट में प्राप्त हुई थी, न कि कंटेनर में।इसलिए,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

यह संदेह से परे सिद्ध नहीं किया जा सकता कि एफएसएल रिपोर्ट (एक्स पी–44) उस कथित प्रतिबंधित पदार्थ से संबंधित थी, जिसे अपीलकर्ता द्वारा चलाए जा रहे ट्रक से जब्त किया गया था।

16. कथित प्रतिबंधित पदार्थ की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट/सूची (एक्स पी–47) कार्यकारी मजिस्ट्रेट जिवेश कुमार सोरी (नायब तहसीलदार) द्वारा तैयार की गई थी, जिन्होंने उपरोक्त नमूने भी एकत्र किए थे। ऐसा प्रतीत होता है कि उपरोक्त कार्यवाही के लिए, एएसआई सुधरम नेताम प्रतिबंधित पदार्थ को उक्त कार्यकारी मजिस्ट्रेट के कार्यालय में ले गए थे, जिन्होंने एक्स पी–47 तैयार की थी, लेकिन उपरोक्त गवाहों में से किसी से भी, अर्थात् कार्यकारी मजिस्ट्रेट जिवेश कुमार सोरी या एएसआई सुधरम नेताम से, अभियोजन पक्ष द्वारा पूछताछ नहीं की गई है।इस प्रकार, अभियोजन पक्ष द्वारा सूची तैयार करने तथा 2 नमूनों की तैयारी को भी सिद्ध नहीं किया गया है

17. भरत आंबाले बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (2025(8) एससीसी 452) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52ए या उसके अंतर्गत नियमों/स्थायी आदेशों के तहत निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन न करना या विलंबित अनुपालन करना न्यायालय को अभियोजन पक्ष के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित कर सकता है, लेकिन ऐसी कमी अपने आप में अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं होगी, जब तक कि भौतिक साक्ष्यों में अन्य विसंगतियां न हों।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. मोहम्मद खालिद (उपरोक्त) के मामले में, जब्त किए गए गांजे के वास्तविक वजन के संबंध में विभिन्न विसंगतियों को देखते हुए, मूल 3 पैकेटों को गांजे के 7 नए बैगों से बदलने और न्यायालय की अनुमति के बिना उन्हें सुरक्षित रखने के संबंध में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अभियोजन पक्ष के मामले में ये स्पष्ट खामियां इस अनिवार्य निष्कर्ष को जन्म देती हैं कि अभियोजन पक्ष जब्ती के समय से लेकर एफएसएल पहुंचने तक नमूना पैकेटों की सुरक्षित हिरासत के संबंध में न्यायालय को संतुष्ट करने के लिए आवश्यक साक्ष्य साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है।

19. सुरेपल्ली श्रीनिवास बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (अब तेलंगाना राज्य) (2025 एससीसी ऑनलाइन 683) के मामले में, अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि जब्त की गई प्रतिबंधित सामग्री को विधिवत सील किया गया था, इसे ट्रायल कोर्ट के समक्ष विलंब से प्रस्तुत किया गया था और जब्त की गई प्रतिबंधित सामग्री को गवाह संख्या 3 के अलग कमरे में 15 दिनों तक रखा गया था। उपरोक्त तथ्यों पर विचार करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपील स्वीकार कर ली और अपीलकर्ताओं को संदेह का लाभ देते हुए अपीलकर्ता की दोषसिद्धि के निर्णय को अपास्त कर दिया गया।

20. जैसा कि पिछले कंडिका में चर्चा की गई है, भौतिक साक्ष्यों में महत्वपूर्ण विसंगतियां और कमियां हैं, क्योंकि यह सिद्ध नहीं हुआ है कि प्रतिबंधित पदार्थ की बरामदगी के बाद उसे 20 बंडलों या 8 बोरियों (बोरी) में रखा गया था, उसे सीलबंद अवस्था में रखा गया था या नहीं, नमूना उसकी जब्ती के 4 महीने बाद एकत्र किया गया था, नमूना तैयार करने वाले संबंधित कार्यकारी मजिस्ट्रेट की जांच से नमूना संग्रह सिद्ध नहीं हुआ है और

एफएसएल रिपोर्ट (प्रदर्शनी पी–44) इस मामले में कंटेनर में एकत्र किए गए नमूने से संबंधित नहीं है, बल्कि यह पैकेट में एकत्र किए गए नमूने से संबंधित है, इसलिए, यह संदेह से परे सिद्ध नहीं माना जा सकता है कि अपीलकर्ता द्वारा चलाए जा रहे ट्रक से जब्त किया गया कथित पदार्थ गांजा था।अतः, विद्वान विशेष न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता/आरोपी को दी गई दोषसिद्धि स्पष्ट रूप से अवैध है और गंभीर रूप से विकृत है।

21. उपरोक्त कारणों से, यह न्यायालय अपीलकर्ता को संदेह का लाभ देने के लिए इच्छुक है। परिणामस्वरूप, विशेष न्यायाधीश द्वारा दिनांक 1–12–2022 को पारित वह निर्णय, जिसमें अपीलकर्ता को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20(ख)(ii)(सी) के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था और दंड पारित किया गया था, रद्द तथा अपास्त कर दिया गया है। अपीलकर्ता को उसके विरुद्ध लगाए गए उक्त आरोप से दोषमुक्त कर दिया गया है।

22. अपीलकर्ता अभिरक्षा में है।यदि किसी अन्य मामले में उचित न हो तो उसे तत्काल रिहा कर दिया जाए, बशर्ते कि संबंधित विशेष न्यायालय के समक्ष भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 481 का अनुपालन उसकी संतुष्टि के अनुरूप हो।

23. संबंधित विशेष न्यायालय के अभिलेख और इस निर्णय की एक प्रति अनुपालन और आवश्यक कार्यवाही के लिए तत्काल वापस भेज दी जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/–
(नरेश कुमार चंद्रवंशी)
न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur